


**प्रारूप**

क्र० सं०	योजना / कार्यक्रम का नाम	लाभार्थियों को प्रदत्त सुविधा(सामग्री / अनुदान धनराशि)	योजना की पात्रता हेतु शर्तें	योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	योजना में लाभान्वित करने हेतु सक्षम अधिकारी का पदनाम	अभ्युक्ति
1	लोहिया ग्रामीण आवास योजना	लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत शासन स्तर से प्रति लाभार्थी अंकन रू० 3.05 लाख की धनराशि अनुमन्य है जिसमें से 2.75 लाख आवास निर्माण हेतु तथा रू० 30000/- की धनराशि से सौर ऊर्जा प्रदान की जाती है।	1-वर्ष 2002 के बी० पी० एल० परिवारों को छोड़ते हुए अवशेष आवासविहीन परिवार जिनकी वार्षिक आय रू० 36000/- से कम है 2-आवास हेतु 50 वर्गमी० भूमि उपलब्ध हो। 3-आवास महिला के नाम से बनवाये जाने का प्राविधान है।	वर्षवार चयनित समग्र ग्रामों में पात्र एवं अन्य ग्रामों के पात्र लाभार्थियों हेतु जिला स्तर से गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा जाँच कराने के उपरांत आवास स्वीकृत किया जाता है।	मुख्य विकास अधिकारी, बरेली। <i>विमलेश्वर</i>	वर्ष 2016-16 का शासन स्तर से अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।
2	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शुभारम्भ किया गया है।	वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आधार पर आवास विहीन परिवारों का चयन कर आवास की सुविधा प्रदान की जायेगी।	ग्राम पंचायत स्तर पर आवास विहीन परिवारों की पात्रता का चयन कर आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी।	मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।	वर्ष 2016-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारम्भ की जा रही है।
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	वर्ष 2013-14 से बरेली जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना प्रारम्भ हुई है।	योजनान्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करके उनको विभागीय स्तर से रिवाल्विंग फंड की धनराशि रू० 15000/- प्रति समूह उपलब्ध करायी जाती है तत्काल में बैंक शाखा प्रबन्धक समूह की कैश क्रेडिट लिमिट बनाते हैं।	विकास खण्ड स्तर पर बी०पी०एल० परिवारों व पी०आई०पी० प्रक्रिया के तहत महिलाओं का चयन किया जाता है और समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।	विकास खण्ड स्तर पर ख०वि०अधि० / सहा०विकास अधि० (आई०एस०बी०)	

lohiya Awas-Patrachar14-15

  
 परियोजना निदेशक  
 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण  
 बरेली